



फाइल नं०-71-3099/194/2024-03

46/2026/1/1249539/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रमोट फार्मा कम्पनी के सुचारु संचालन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० प्रमोट फार्मा काउन्सिल के पत्र संख्या-154/एम०डी०/पी०पी०सी०/2025, दिनांक 23.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रमोट फार्मा कम्पनी के सुचारु संचालन हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उ०प्र० इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में शासनादेश दिनांक 06.05.2025 द्वारा ₹० 20.00 लाख तथा शासनादेश दिनांक 26.05.2025 द्वारा ₹० 480.00 लाख, इस प्रकार कुल ₹० 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक "2210-05-105-06" में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत उ०प्र० इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹० 2000.00 लाख के सापेक्ष प्रमोट फार्मा कम्पनी के सुचारु संचालन हेतु ₹० 500.00 लाख (₹० पाँच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
 4. धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आहरित किया जायेगा तथा प्रमोट फार्मा काउन्सिल के खाता संख्या-50100798301700 में हस्तांतरित किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 22100510506 उ0प्र0 इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य-(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-297/दस-2025-26, दिनांक 20 फरवरी, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्विनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 प्रमोट फार्मा काउन्सिल।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।